



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 1339 म.प्र.न.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल

// आदेश //

दिनांक 20/07/21

क्र.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर आयोग सभा की बैठक दिनांक 20.05.2021 के विषय क्रमांक (166)-18 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में आदेश क्र. 986/म.प्र.न.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक 31.05.2021 के द्वारा रैनैसा विश्वविद्यालय, इंदौर को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 30 सीटों की अनुमति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के आदेश क्रमांक/म.प्र.न.र.क/21 दिनांक 25.04.2021 के द्वारा रैनैसा विश्वविद्यालय, इंदौर को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 55 सीटों की मान्यता प्रदान की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में कुलसचिव, रैनैसा विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्र क्रमांक आरयु/03/पी.एस/02/2021/26 के माध्यम से बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में स्वीकृत 30 सीटों के अतिरिक्त 25 सीटों की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

निरीक्षण समिति द्वारा रैनैसा विश्वविद्यालय, इंदौर के स्कूल ऑफ नर्सिंग का दिनांक 30.06.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन को आयोग की सभा की बैठक दिनांक 8.7.2021 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें लिए गए निर्णय के परिपालन में रैनैसा विश्वविद्यालय, इंदौर को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 986/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक 31/05/2021 में आंशिक संशोधन करते हुए बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत सीट संख्या 30 के स्थान सीट संख्या 55 अनुमति निम्न शर्तों के अधीन अध्यधीन प्रदान की जाती है।

**शर्त:-1.** आई.एन.सी. के प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुसार नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की प्रमाणित सूची उपलब्ध करायी जाना अनिवार्य होगा।

2. पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल म.प्र. भोपाल द्वारा जारी मान्यता संबंधी आदेश में लिखित शर्तों एवं स्वीकृत सीट संख्या के अनुसार दिए जाएंगे। ऑनलाईन प्रवेश की सूची नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल म.प्र. भोपाल, म.प्र एवं म.प्र.न.वि.वि. आयोग को जमा करानी होगी।

3. पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए शैक्षणिक स्टाफ की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

4. मानक परिषदों से पाठ्यक्रम की ग्रेडिंग/मुल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।

5. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल म.प्र. भोपाल द्वारा जारी मान्यता आदेश का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

6. उच्च शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं म.प्र. नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा/डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए डी) संधारित करना होगा।

8. पाठ्यक्रम के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं भविष्य में निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(चेयरमैन, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के. पी. साहू)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि. आयोग भोपाल  
दिनांक

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग/स्थापना/भोपाल  
प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव रैनैसा विश्वविद्यालय इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि. आयोग भोपाल



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

कमांक १४६ / म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग / स्थापना / भोपाल

दिनांक 31/5/21

// आदेश //

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, म.प्र. के पत्र क्र. म.प्र.न.र.क./21/ दिनांक 1/4/2021 द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर आयोग की सभा की 166वीं बैठक दिनांक 20/05/2021 के एजेण्डा क्रमांक (166)-18 में लिये गये. निर्णय के अनुक्रम रेनेसां विश्वविद्यालय, इंदौर को शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु बी.एस.सी.नर्सिंग एवं जी.एन.एम पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

| S.no | Course         | Intake | Ordinance No. |
|------|----------------|--------|---------------|
| 1    | B. Sc. Nursing | 30     | 11            |
| 2    | G.N.M          | 30     |               |

- आई.एन.सी. के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की प्रमाणित सूची उपलब्ध करायी जाना अनिवार्य होगा।
- पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार तथा आई.एन.सी. की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- आगामी शैक्षणिक सत्र में स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं आई.एन.सी. नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।  
(चेयरमेन, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग द्वारा अनुमोदित )

(डॉ. के.पी. साहू)  
सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल  
दिनांक / / 2021

पृष्ठांकन..... / म0प्र0नि0वि0वि0आयोग / स्थापना / भोपाल  
प्रतिलिपि-

- कुलसचिव, रेनेसां विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ती।

सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल

**अनुसूची-9**  
**नियम-5(6) देखिए**  
**मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप**

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल,  
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल ।

क्रमांक / म.प्र.न.र.क. / 21 /

भोपाल, दिनांक : 25/04/2021

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **RENAISSANCE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING , Indore** पंजीयन क्रमांक **A200839** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

| क्रमांक | पाठ्यक्रम     | शैक्षणिक सत्र | छात्र संख्या |
|---------|---------------|---------------|--------------|
|         | B.Sc. (New )  | 2020-21       | 55           |
|         | G.N.M. (New ) | 2020-21       | 30           |

**मान्यता की शर्त:-**

1. यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" के तहत शासित है।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटरनशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस/शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-  
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास/संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।  
(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची/प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

दिनांक :- 25/04/2021

Signature valid

Digitally Signed By Chandrakala Divgaiya  
(Personal)

Date: 25 Apr 2021 14:01:00 IST

हस्ताक्षर

**श्रीमती चंद्रकला दिवगैया**  
**रजिस्ट्रार**